न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

सीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 302/2025
अन्तर्गत धारा 251 ए RT Act

प्रार्थीगण :–

1. मिदाद 2. चनेसर पि. फता 3. आसीयत पत्नी कासम 4. कासम 5. जारू 6. दीनू 7 मोरू 8. लुकमान पि. इब्राहिम 9. सरीयत पत्नी इब्राहिम 10. हवा पत्नी इब्राहिम जातियान मुसलमान निवासी बामणोर भंवरशाह (बामणोर) तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अकबर 2. माहमद 3. सादक 4. सिकन्दर 5. इब्राहिम पि. जुमा 6. राहमत पत्नी जुमा 7. उसमान पुत्र माहमद 8. नूरा पुत्र माहमद 9. कंडा 10. खबड़ पुत्र गफुर 11. अली पुत्र गफूर 12. इब्राहीम पुत्र गफूर 13. कादू पुत्र ईस्माईल 14.जुसब 15. सादक पि. ईस्माईल 16. मलूको पत्नी ईस्माईल 17. खमीशा पुत्र बचीया 18. अहमद पुत्र बचीया 19. जीमल पुत्र रहिम 20. शेरू पुत्र रहिम 21. मीयण पत्नी रहिम 22. मूभीन पुत्र मोसन 23. नूरों पत्नी मोसन 24.बचाया पुत्र हसन 25. मोहमद अली पुत्र हसन 26. सिलेमान पुत्र हसन 27. भागा पत्नी हसन 28. अमीर 29. सरीफ 30. सिदीक 31. आरीफ पि. दाउद 32 लाडा पत्नी दाउद 33. सहेजा पत्नी इसब 34. इसब पुत्र सिलेमान 35. आचार पुत्र खमीशा 36. जानूखान पुत्र रमदान 37. रायधन पुत्र रमदान 38 वसाण पुत्र रायधन जातियान मुसलमान, निवासीगण बामणोर भंवरशाह (बामणोर), तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 39. शाखा प्रबन्धक द सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैक बा. शाखा धोरीमना 40 शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा चौहटन जिला बाड़मेर

वकील प्रार्थीगण – श्री दोष मोहम्मद
विप्रार्थीगण – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक 07.04.2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा बामणोर भंवरशाह, पटवार हल्का बामणोर, तहसील धनाऊ में खसरा संख्या 512 रकबा 27.8423 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त तथा अपने रहवासी ढाणियां, टांके आदि बने हुए है।

प्रार्थीगण की जोत व ढाणी पर आने–जाने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत मौजा बामणोर भंवरशाह, पटवार हल्का बामणोर, तहसील धनाऊ के खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

संख्या 700/511 रकबा 21.3269 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में जो कटाण रास्ते से सबसे नजदीक है जो प्रार्थीगण की जोत पर आने–जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते से प्रार्थीगण के अलावा कई अन्य परिवार भी जुड़े हुए है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से करता आ रहा है तथा सभी परिवार के लिए आवागमन का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण को अपनी जोत एवं ढाणियों पर आने जाने से बाधित होते है। रास्ते का लेकर भारी विरोध होता है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा यह रास्ते का आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 700/511 में से रास्ता चाहा गया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया। पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ के पत्रांक राजस्व/2026/35 दिनांक 07.01.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात् व तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नही है जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700/511	21.3269	बा.सो.	20 फीट	0.1821	बामणोर भंवरशाह	विप्रार्थीगण संख्या 01 से 38 तक समस्त

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) () में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः प्रभावित (पक्षकारों)/विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा [redacted]वित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण /प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग हरा 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अभिन्न अंग रहेगा। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग हरा दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कि जावें जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग हरा दिए जाने का आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन